

15/11/18

लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रथरी को सूचनाएं एवं अनुरोधनाथ प्रेषित।

प्रतिनिधि:- जिना अल्पसंख्यक कल्याण परामर्शकारी, नालन्दा/सभी अनुधारकों/अण शाखा/अण शाखा (कम्प्लैट सेल) /

दिनांक: 31/8/18

प्रबंध निदेशक
₹0/-

आपाक 1394

जागा है।

उक्त स्वीकृत अण को अनुधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान नैमित्तिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया

कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रथरी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

कच से कर लिया जाना है तथा अण राशि से सुजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा कच की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच स्वीकृत अण राशि में वर्णित डेब्ट में लाभांशों द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का कच 30 दिनों के अन्दर में निश्चित

Sl. No	वर्ष	पूर्वा क्रम	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Processing Charge Less 0.5%	Net Payable Amount
1.	25/193		MD MAHTAB AALAM, S/o- MD SHARAF, PS-LAHERI, Dist.- NALANDA-803101	A/c No.:- 915010038850963	MOTOR PARTS SHOP	100000	500	99500
2.	34/308		S.M. MAHFOOZ ALAM, S/o- S.M. NEZAMUDDIN, VIII-KAGHZI MOHALLA, Block-SADAR, PS + PO-BIHAR SHARIF, Dist.- NALANDA-803101	A/c No.:- 1255000100057260	POULTRY FARM & MEAT	50000	250	49750
TOTAL								
						150000	750	149250

आञ्छित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के सौम संख्या-3060 दिनांक-03.01.2016 के आलोक में गण्य समीक्षित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक सेवायोजन विभाग द्वारा स्वीकृत वचन समिति द्वारा दिनांक-05.07.17 एवं 06.07.17 को चयनित प्रक्षेत्रवार आवेदकों में से निम्नलिखित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रथरी द्वारा नालन्दा जिना के ड्रिस्टीन कार्यालय / दरस्तार विभाजन द्वारा स्वीकृत कर समर्पित करे गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में अण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुरोधों के आधार पर कुल 02 लाभियों को उनके नाम के सामने ऑफिशियल डेब्ट में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दराशि गए अण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से अण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत अण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे सूचीकृत भुगतान के स्वरूप में दराशि गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभिक के आधार कर्डे खाते में बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

स्वीकृतनादेश

संख्या: ----- बी. एम. एम. एफ. सी. / पटना, दिनांक: -----

(Email=minocorporatna@gmail.com. website:www.bsmtc.org)

34, हाईवे रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

बिहार स्टेट माइनोंरिटीज फाईनेंसियल कारपोरेशन लि. पटना